संख्या-61/2025/1830/2025/1943405/12-2099/242/2025

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक: 24 दिसम्बर, 2025

विषयः-भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बी0बी0एस0एस0एल0) को उत्तर प्रदेश राज्य में टिश्यू कल्चर लैब सुविधा की स्थापना एवं प्रस्तावित बीज उत्पादन, संरक्षण और सम्बर्द्धन सम्बंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, मलिनपुर जनपद बाराबंकी की 31 एकड़ भूमि को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस0एफ0/1889-टी/एल0टी0/2025-26 दिनांक 20-11-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बी0बी0एस0एस0एल0) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में टिश्यू कल्चर लैब सुविधा की स्थापना एवं प्रस्तावित बीज उत्पादन, संरक्षण और सम्बर्द्धन सम्बंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, मलिनपुर जनपद बाराबंकी की 31 एकड़ भूमि को 50 वर्ष की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में सम्यक् विचारोंपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टिश्यू कल्चर सुविधा की स्थापना, प्रस्तावित पौध उत्पादन, संरक्षण और सम्बर्द्धन सम्बंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बी0बी0एस0एस0एल0) को राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, मलिनपुर जनपद बाराबंकी पर 50 एकड़ भूमि की मांग के सापेक्ष कुल उपलब्ध भूमि 31.827 एकड़ में से, किसान कल्याण केन्द्र परिसर सहित आने-जाने वाले मार्ग (0.827 एकड़) को छोड़कर अर्थात 31 एकड़ भूमि प्रथम चरण मे 30 वर्ष की लीज पर दी जाएगी। आवश्यकतानुसार लीज 20 वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी। इस प्रकार लीज की कुल अधिकतम अवधि 50 वर्षों तक होगी। भूमि का लीज रेंट रू0 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) प्रति वर्ष पर दी जाएगी। लीज पर दी जाने वाली भूमि के लिए रू० 100/- प्रति एकड़ का एकमुश्त रियायती प्रीमियम लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. लीज अवधि समाप्ति पर भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बी0बी0एस0एस0एल0) द्वारा प्रक्षेत्र की समस्त भार से मुक्त (इन्कमब्रेंस फ्री) तथा तत्समय परिसंपत्तियों सहित भूमि राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी।

4. लीज डीड जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी एवं भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बी0बी0एस0एस0एल0) के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी। लीज डीड/भू-हस्तान्तरण विलेख में भूमि का गाटावार विवरण का उल्लेख किया जायेगा तथा लीज डीड की शर्तों व प्रारूप को मा० कृषि मंत्री जी के अनुमोदन से अन्तिम रूप दिया जायेगा।

कृपया प्रकरण में तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या-61/2025/1830(1)/2025/1943405/12-2099/242/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रबंध निदेशक, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली।
(2) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), कृषि भवन, लखनऊ।
(4) संयुक्त कृषि निदेशक, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
(5) उप कृषि निदेशक, बाराबंकी।
(6) जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।